



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- उदयपुर में वाणिज्य कर विभाग का संयुक्त आयुक्त 8 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 10 सितम्बर, मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की उदयपुर (इन्टेलिजेंस) इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उदयपुर को परिवादी से 8 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर (इन्टेलिजेंस) इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके रिसोर्ट का जीएसटी टीम द्वारा किये गये सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही नहीं करने और आई.टी.सी. क्लेम का फायदा करवाने की एवज में आरोपी रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उदयपुर द्वारा परिवादी से 8 लाख रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के सुपरवीजन में एसीबी की उदयपुर (इन्टेलिजेंस) इकाई की पुलिस निरीक्षक श्रीमती डॉ. सोनू शेखावत के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उदयपुर को परिवादी से 8 लाख रुपये (1 लाख रुपये प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 7 लाख रुपये डमी करेंसी) रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामले में अन्य अधिकारी/कर्मचारियों की भूमिका की जाँच की जा रही है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **हैल्पलाइन नं. 1064** एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।